न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 336 / 2024 दायर दिनांक :–

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

1. राजाराम पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रामप्यारी पत्नी राजाराम जाति मीना निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामकरण मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
2. दिलखुश पुत्र बाबूलाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
3. राकेश पुत्र बाबूलाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
4. मीरा पत्नी बाबूलाल मीणा जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0
5. फोरुलाल पुत्र माता बदाम जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0 हाल नि. थली पो0 रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. शर्मा पुत्री रामकरण पत्नी बजरंगलाल जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0 हाल नि. जरेली पो0 देवड़ावास तह. दूनी
7. सत्यनारायण पुत्र माता बदाम जाति मीणा निवासी खरोई तहसील दूनी जिला टोक राज0 हाल नि. थली पो0 रानीपुरा तहसील हिण्डाली जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण –

– उपस्थिति –
श्री रमेश चन्द शर्मा
श्री अनिल कुमार भूरेठा
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय / आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 465 खसरा नम्बर 1158 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.84 है0, भूमि वाके ग्राम खरोई पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टॉक में स्थित है, जिसमे प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। खातेदार मिश्री की मृत्यु हो चुकी है, जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वारिसान है। इस भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का कोई लेना देना नही है तथा खेत के पडोसी होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर अमादा है, जबकि प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये रजि0 विकय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से कय की थी तब से अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 4 प्रार्थीगण को इस भूमि से बेदखल कर दर दर भटकने के लिये मजबूर करने पर अमादा है. जिसके लिये अप्रार्थी नम्बर 1 ता 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे स्वय

7.11.2024

से एजेन्ट नोकर चाकर या पारिवारिक सदस्यो के द्वारा प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 465 खसरा नम्बर 1158 रकबा 1.20 है0, खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.84 है0, भूमि वाके ग्राम खरोई पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टॉक से बेदखल नहीं करे, कब्जा नही करे व किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नही करे। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 के विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है, केवल उक्त आराजी के सह–खातेदार होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है।अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वंय जरिये एजेन्ट, नोकर चाकर या अन्य पारिवारिक सदस्यो से प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि मे किसी प्रकार की मजामहत नही करे ना ही करावे, प्रार्थीगण को बेदखल नही करे व पाबद रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है, विवादित आराजी से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल पड़ोसी होने के नाते प्रार्थी की विवादित आराजी को हड़पना चाहता है, प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। जबकि प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये रजि0 विकय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से कय की थी तब से अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 4 प्रार्थीगण को इस भूमि से बेदखल कर दर दर भटकने के लिये मजबूर करने पर अमादा है. जिसके लिये अप्रार्थी नम्बर 1 ता 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे, कब्जा नही करे व किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नही करे। अतः प्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निंषेधाज्ञा को स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओ पर निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2071–74 वाके ग्राम खरोई तहसील दूनी के ख. नं. 1158 रकबा 1.20 है0 व ख. नं. 1203 रकबा 0.84 है0 के प्रार्थीगण 1/5–1/5 हिस्से के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर उक्त हिस्से पर कब्जेकाश्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

उक्तानुसार विवेचन करने पर प्रथमरूप से यह बिन्दू सामने आता है कि प्रथम बिन्दू विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा है या नहीं । कब्जे के सम्बन्ध में सम्बन्ध में सभी तथ्य वाद में तय होने है। स्थायी निषेधाज्ञा के वाद के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया मामला में खातेदारी के साथ कब्जे का होना आवश्यक शर्त होता है। चूकि प्रार्थी रिकॉर्डेड सहखातेदार है परन्तु प्रार्थी का कब्जा साबित नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दू यह भी है कि प्रार्थी ने नाममात्र को भी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है, जिससे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने उसके कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया हो अथवा उसके सम्बन्ध में कोई धमकी दी हो । अतः

7.11.2024

दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्पष्ट तौर पर जाहिर हो चुका है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी तो है परन्तु प्रार्थीगण का कब्जा साबित नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि वर्तमान में अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के पड़ोसी काबिजकाश्तकार है जिनको बिलावजह जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति केवल अप्रार्थीगण को ही होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी मौके की यथास्थिति बाबत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक **को सुनाया गया।**

7.11.2024

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner